न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 815/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. बद्रीलाल पुत्र गोकुल राम 2. गेन्दबाई पत्नि रामलाल जातियान ब्राहमण, निवासीगण साण्डिया, तह0 सोजत जिला पाली।		1. पुकाराम पुत्र हीराराम 2. थानाराम पुत्र हीराराम जातिगण सीरवी, निवासीगण साण्डिया, तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं सम्पतराज देवड़ा अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 10.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा साण्डिया के खसरा संख्या 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजीयत कृषि भूमि खसरा संख्या 1389 के गत खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार 705 रकबा 7 बिघा 7 बिस्वा है। गत खसरा नम्बर 705 रकबा 7 बिघा 7 बिस्वा को प्रार्थीगण ने दिनांक 14.08.1974 को दौलाराम पुत्र हीराराम जाति सीरवी निवासी साण्डिया से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1389 में प्रार्थीगण के साथ ही अप्रार्थीगण का नाम बिना किसी सक्षम आदेश से एवं बिना अधिकारिता से अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो विधि विरूद्ध गलत दर्ज किया गया। उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में होने पर दौलाराम पुत्र हीराराम एक आवेदन पत्र श्रीमान भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश किया। जिसमे खसरा 705 रकबा 7 बिघा 7 बिस्वा में इन्द्राज अप्रार्थी का नाम हटाने एवं प्रार्थीगण के उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि दर्ज करने हेतु निवेदन किया था। जिसके आधार पर प्रकरण संख्या 829/1977 बअनवान दौलाराम बनाम बद्रीलाल दिनांक 28.12.1977 के भू प्रबंध अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण का नाम हटाने एवं उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया था। जिसकी पालना में खसरा मिलान में उक्त आदेश अनुसार दिनांक 16.08.1979 को इन्द्राज किया गया था। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उक्त आदेशानुसार नाम नही हटाया जाकर पुनः अप्रार्थीगण का दर्ज कर दिया, जो विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण पुनः अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खसरा संख्या 1389 से हटवाने का अधिकारी है तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज

Scanned with CamScanner

है। उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डिया में होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्तागण प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात सरहद मौजा साण्डिया के वर्तमान खसरा संख्या 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर में दर्ज अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाया जाकर प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज दुरूस्ती करने तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण, को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 10.09.2020 को पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 व 2 के तथ्यों को स्वीकार कर तथा 3 व 4 बिन्दु कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का होना 5, 6, स्वयं सिद्ध करना अंकित किया है। अधिवक्तागण प्रार्थीगण ने बेचान इकरारनामा की छायाप्रति, प्रमाणित जमाबंदिया क्रमशः सम्वत् 2070–73, 2066–69, 2062–65, 2058–61, 2054–57, आज्ञापत्र भू–प्रबन्ध विभाग, सरवर्क मिसल की प्रमाणित छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है। बहस अधिवक्तागण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्तागण प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डिया के वर्तमान खसरा संख्या 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर में दर्ज अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाया जाकर दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। चूँकि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज एवं सैंटलमेंट विभाग के भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रार्थी दौलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र कायम की गई मिसल संख्या 829/77 दौलाराम बनाम बद्रीलाल में पारित निर्णय दिनांक 28.12.1977 में उल्लेखित किया गया कि " प्रार्थी दौलाराम उपस्थित होकर असल पर्चा लगान पेश कर निवेदन किया कि साबिक ख0न0 705 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा नये नम्बर 1389 रकबा 1.13 हैक्टर जरिए रजिस्ट्री बद्रीलाल पुत्र गोकलराम व गेंदा बाई जोजे रामलाल ब्राहम्ण सा0 साण्डिया को बेचान कर कब्जा दे दिया है। असल पर्चा लगान दुरूस्ती हेतु पेश किया जो सामिल मिसल है दुरूस्ती की जाना उचित है। अतः हाल खसरा नम्बर 1389 रकबा 1.13 हैक्टर दौला पुत्र हरीराम कौम सिरवी के नाम से खारिज होकर बद्रीलाल पुत्र गोकलराम व गेंदाबाई पत्नि रामलाल ब्राहम्ण सा0 साण्डिया के नाम दर्ज हो। रेकर्ड में अमल दरामद हो।" तदानुसार पर्चा लगान जारी होकर मिलान खसरा अनुसार पूर्व ख0नं0 705 वर्तमान ख0नं0 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर भूमि में उक्त निर्णय की पालना में अगल दरामद भी हुआ कि " जरिए मिसल नम्बर 829/1977 के फैसला दिनांक 28.12.1977 को श्री रामलाल जी ए0 एस0 ओ0 सा0 जोधपुर प्रार्टी न0 4 के अनुसार दौला वगैरा का नाम खारीज कर ख0न0 1389 में बद्रीलाल पुत्र गोकलराम वगैरह का नाम दर्ज किया" का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश अप्रार्थीगण के नाम आगे की जमाबंदियो में सद्भाविक गलती से दर्ज कर दिये जो अवैधानिक है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहरा के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः चूँकि भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 28.12.1977

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज

Scanned with CamScanner

पालना मिलान खसरा में दर्ज अंकन अनुसार हो गई, किन्तु आगामी जमाबंदियों में अप्रार्थीगण के नाम पुनः गलती से दर्ज हुए जो हटाते हुए सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थीगण के नाम दुरूस्त दर्ज किया जाना लाजमी है। लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा साण्डिया के वर्तमान खसरा संख्या 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर में दर्ज अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाया जाकर सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थीगण के नाम की दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा साण्डिया के वर्तमान खसरा संख्या 1389 रकबा 1.1300 हैक्टर में दर्ज अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाया जाकर सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थीगण के नाम की दुरूस्त प्रविष्टि किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner